<u>अति आवश्यक</u>

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक **336** / ।।।(1)–मृतक आश्रित नियुक्ति–**2014** **दिनांक 02 दिसम्बर,2014**

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
<u>देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र।</u>

<u>विषयः–उत्तराखण्ड परिवहन निगम में मृतक आश्रितो को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक।</u>

उपर्युक्त विषयक मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), देहरादून क्षेत्र के पत्र संख्या–995 दिनांक 11–11–2014, मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), नैनीताल क्षेत्र के पत्र संख्या–2489 दिनांक 7–10–2014/2257, दिनांक 15–11–2014 एवं टनकपुर क्षेत्र के दिनांक 3–11–2014 के द्वारा प्रेषित मृतक आश्रितो की प्रकरण पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धो के साथ अनापत्ति दिये जाने की सस्तुति की गईः–

1– मृतक आश्रितो के अभिलेखों की सत्यता का उत्तरदायित्व मण्डलीय/डिपो स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगें। अतः अभिलेखों के परीक्षण में विशेष सावधानी बरती जाये।

2– नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे प्रकरणो में जिनमें मृतक के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो उनमें सभी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही करेगें।

3– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मुख्यालय स्तर से मण्डलीय प्रबन्धकों को मृतक आश्रित की नियुक्ति की औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु जो प्रोफ्रार्मा पूर्व में भेजा गया है, उसी प्रारूप में मृतक आश्रित को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतू अपने कार्यालय में बुलायें एवं सभी औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरन्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।

4– नियुक्ति प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी मृतक आश्रितों का पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा स्वास्थ्य परीक्षण/पुलिस सत्यापन की रिर्पोट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। **<u>किसी भी दशा में स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन कराये बिना नियुक्ति की कार्यवाही न की जाये।</u>** इसके अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित मृतक आश्रित व्दारा उपलब्ध कराये गये सेवा सम्बन्धी स्वप्रमाणित एवं दिनांक सहित अभिलेखो का सत्यापन नियुक्ति के पश्चात अधिकतम एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेगें। निगम मुख्यालय स्तर से समय–समय पर किये जाने वाले निरीक्षण में इसे अनिवार्य रूप से देखा जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें एवं उनके साथ–साथ मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) भी उत्तरदायी होगें।

5– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि नियुक्त किये जाने वाले सभी मृतक आश्रितों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके व्दारा किसी न्यायालय में मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित मृतक आश्रित उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होगें।

6– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि जिन प्रकरणों में मृतक आश्रित को चालक पद पर नियुक्ति दी जानी है उनके चालक संबंधी सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण कर लिया जायें तथा निगम द्वारा चालक पद हेतु निर्धारित सभी अर्हतायें, चालक लाईसेन्स सम्बन्धी सभी अर्हतायें, ऊँचाई आदि के परीक्षण के उपरान्त समिति के माध्यम से चालक टैस्ट लिया जाये एवं उत्तीर्ण होने पर ही नियमानुसार चालक पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायें।

इसी प्रकार मृतक आश्रितो के परिचालक पद पर नियुक्ति से पूर्व उनके परिचालक लाईसेन्स एवं अन्य अभिलेखो आदि की जॉच भी कर ली जाये।

7– समिति द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि जिन मृतक आश्रितों के प्रकरण में मुख्यालय/मंडलीय स्तर से अनापत्ति नही दी गई है ऐसे प्रकरणों में डिपो/मंडलीय स्तर से सम्बन्धित मृतक आश्रितो को लिये गये निर्णय से तत्काल अवगत करा दिया जाये। इस कार्य में कोई विलम्ब न किया जाये।